विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 5 अप्रैल, 2012

संख्या वि0स0–वि0–सरकारी विधेयक/1–17/2012.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक–21) जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ ई–राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

———————

2012 का विधेयक संख्यांक 21

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः––

1. **संक्षिप्त नाम.**–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2012 है।

2. **धारा 3 का प्रतिस्थापन.**–मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 3 (2000 का 11) की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्ः––

"(क) मुख्य मंत्री	उनतालीस हजार रुपए प्रतिमास;
(ख) कैबिनेट मंत्री	छत्तीस हजार रुपए प्रतिमास;
(ग) राज्य मंत्री	तैंतीस हजार रुपए प्रतिमास; और
(घ) उप मन्त्री	बत्तीस हजार रुपए प्रतिमास।''।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन यथेष्ठ खर्चों, जो माननीय मन्त्रियों को जन प्रतिनिधि के रूप में जनजीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्रता से वृद्धि के कारण उनके विद्यमान वेतन को बढ़ाना आवश्यक समझा गया है । इसलिए मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

(प्रेम कुमार धूमल)

मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2012

———————

वित्तीय ज्ञापन

विधयेक के खण्ड 2 के अधिनियमित किए जाने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 7.20 लाख रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा ।

———————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

––शून्य––

———————

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(जी.ए.डी.फाईल नं0 जी0ए0डी0 –सी (डी)(6)–1/2004)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधयेक, 2012 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

———————

Bill No. 21 of 2012

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 2012

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (Act No. 11 of 2000).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follow:—

1. Short title.—This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2012.

2. Substitutions of section 3.—In section 3 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000, (11 of 2000) in sub-section (1), for clauses (a) to (d), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(a)	Chief Minister:	Rupees thirty nine thousand per mensem;
(b)	Cabinet Minister	Rupees thirty six thousand per mensem;
(c)	Minister of State:	Rupees thirty three thousand per mensem; and
(d)	Deputy Minister:	Rupees thirty two thousand per mensem.".

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which an Hon'ble Minister, as a public representative has to incur on account of various demands of the public life, it has been considered necessary to increase their existing salaries. This has necessitated amendment in the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

Shimla :

The ..... April, 2012.

———————

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 7.20 lakhs per annum approximately.

———————

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil——

———————

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(GAD File No. GAD-C (PA) (6)-1/2004-)

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Bill, 2012, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

———————